

**UTTAR PRADESH ACCOMMODATION REQUISITION (AMENDMENT)
ACT, 1972**

(U. P. Act No. 38 OF 1972)

[* *Authoritative English Text of the Uttar Pradesh Vasasthan (Sanshodhan) Adhiniyam, 1972*]

**AN
ACT**

to provide for the continuance with certain amendments of the United Provinces (Temporary) Accommodation Requisition Act, 1947.

IT IS HEREBY enacted in the Twenty-third Year of the Republic of India as follows :—

1. This Act may be called the Uttar Pradesh Accommodation Requisition (Amendment) Act, 1972.

Short title.

2. (1) For the long title of the United Provinces (Temporary) Accommodation Requisition Act, 1947, hereinafter referred to as the principal Act the following shall be substituted :—

Amendment of long title and Preamble of U. P. Act XXV of 1947.

“An Act to provide for powers to requisition accommodation.”

(2) In the preamble to the principal Act, the first paragraph shall be omitted.

3. In section 1 of the principal Act—

Amendment of section 1.

(i) for sub-section (1) the following sub-section shall be substituted, namely :—

“(1) This Act may be called the Uttar Pradesh Accommodation Requisition Act, 1947.”;

(ii) sub-sections (3) and (5) shall be omitted ;

(iii) for the marginal heading the following shall be substituted :—

“Short title, extent and commencement.”

*[For statement of Objects and Reasons, please see *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary* dated July 27, 1972.]

Passed in Hindi by the Uttar Pradesh Legislative Assembly on July 31, 1972 and by the Uttar Pradesh Legislative Council on August 3, 1972.)

(Received the assent of the President on September 30, 1972, under Article 201 of the Constitution of India and was published in the *Uttar Pradesh Gazette Extraordinary*, dated October 5, 1972.)

Substitution of
new section for
section 3.

4. For section 3 of the principal Act the following section shall be substituted, namely:—

“3. (1) Where the District Magistrate is of opinion that any accommodation is needed or likely to be needed for any public purpose, not being a purpose of the Union, and that the accommodation should be requisitioned, the District Magistrate—

(a) shall call upon the owner as well as the occupier of the accommodation by notice in writing (specifying therein the purpose of the requisition) to show cause, within fifteen days of the date of the service of such notice on him, why the accommodation should not be requisitioned, and

(b) may, by order, direct that neither the owner of the accommodation nor any other person shall, without permission of the District Magistrate, dispose of, or structurally alter, the accommodation or let it out to a tenant until the expiry of such period, not exceeding two months, as may be specified in the order.

(2) If, after considering the cause, if any, shown by the owner or occupier of the accommodation the District Magistrate is satisfied that it is necessary or expedient so to do, he may, by order in writing, requisition the accommodation and may make such further orders as appear to him to be necessary or expedient in connection with the requisitioning:

Provided that no accommodation or part thereof—

(a) which is *bona fide* used by the owner thereof as the residence of himself or his family, or

(b) which is exclusively used either for religious worship by the public or as a school, hospital, public library, or an orphanage or for the purpose of accommodating persons connected with the management of such place of worship or such school, hospital, library or orphanage, shall be requisitioned:

Provided further that where the requisitioned accommodation or part thereof is being used as a residence by a tenant for not less than two months immediately preceding the date of the service of notice under sub-section (1), the District Magistrate shall provide such tenant with alternative accommodation which, in his opinion is suitable.

(3) The provisions of section 4 shall apply in relation to service of a notice under clause (a) of sub-section (1) as they apply in relation to service of an order under that clause (b) of that sub-section.”

Insertion of
new section 15-A.

5. After section 15 of the principal Act, the following section shall be inserted, namely:—

“15-A. (1) If the person committing an offence under this Act is a company, the company as well as every person in charge of and responsible to the company for the conduct of its business at the time of the commission of the offence shall be deemed to be guilty of the offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly:

Provided that nothing contained in this sub-section shall render any such person liable to any punishment if he proves that the offence was committed without his knowledge or that he exercised all due diligence to prevent the commission of such offence.

(2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1), where any offence under this Act has been committed by a company and it is proved that the offence has been committed with the consent or connivance of or that the commission of the offence is attributable to any neglect on the part of, any director, manager, secretary, or other officer of the company, such director, manager, secretary or other officer shall also be deemed to be guilty of that offence and shall be liable to be proceeded against and punished accordingly.

Explanation—For the purposes of this section—

(a) “company” means any body corporate, and includes a firm or other association of individuals, and

(b) “director”, in relation to a firm, means a partner in the firm”.

6. Section 17 of the principal Act shall be re-numbered as sub-section (1) thereof, and after sub-section (1) as so re-numbered, the following sub-section shall be inserted, namely :—

Amendment of section 17.

"(2) All rules made under this Act shall as soon as may be after they are made, be laid before each House of the State Legislature, while it is in session for a total period of not less than thirty days, extending in its one session or more than one successive sessions, and shall unless some later date is appointed, take effect from the date of their publication in the *Gazette* subject to such modifications or annulments as the two Houses of the Legislature may, during the said period, agree to make, so, however, that any such modification or annulment shall be without prejudice to the validity of anything previously done thereunder."

उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1972

[उत्तर प्रदेश अधिनियम संख्या 38, 1972]

[उत्तर प्रदेश विधान सभा ने दिनांक 31 जुलाई, 1972 ई० तथा उत्तर प्रदेश विधान परिषद् ने दिनांक 3 अगस्त, 1972 ई० को बंठक में स्वीकृत किया।]

[‘भारत का संविधान’ के अनुच्छेद 201 के अन्तर्गत राष्ट्रपति ने दिनांक 30 सितम्बर, 1972 ई० को स्वीकृति प्रदान की तथा उत्तर प्रदेशीय सरकारी असाधारण गजट में दिनांक 5 अक्टूबर, 1972 ई० को प्रकाशित हुआ।]

यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, 1947 को कतिपय संशोधनों के साथ बनाये रखने की व्यवस्था करने के लिये

अधिनियम

भारत गणराज्य के तेईसवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :—

- 1—यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण (संशोधन) अधिनियम, 1972 कहलायेगा।
- 2—(1) यूनाइटेड प्राविन्सेज (टेम्पोरेरी) एकोमोडेशन रिक्विजिशन ऐक्ट, 1947, जिसे आगे मूल अधिनियम कहा गया है, के दीर्घ शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय :—

“वासस्थान अधिग्रहण करने की शक्तियों की व्यवस्था करने के लिए अधिनियम।”

- (2) मूल अधिनियम के प्रस्तावना में, प्रथम पैरा निकाल दिया जाय।

- 3—मूल अधिनियम की धारा 1 में—

(1) उपधारा (1) के स्थान पर निम्नलिखित उपधारा रख दी जाय, अर्थात्—

“(1) यह अधिनियम उत्तर प्रदेश वासस्थान अधिग्रहण अधिनियम, 1947 कहलायेगा।”

संक्षिप्त नाम

य० पी० ऐक्ट
संख्या 25, 1947
के दीर्घ शीर्षक तथा
प्रस्तावना का
संशोधन

धारा 1 का
संशोधन

(उद्देश्य और कारणों के विवरण के लिये कृपया दिनांक 27 जुलाई, 1972 ई० का सरकारी असाधारण गजट देखिए)

(2) उपधारा (3) और (5) निकाल दिये जाय,

(3) पार्श्व शीर्षक के स्थान पर निम्नलिखित रख दिया जाय:—
“संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा प्रारम्भ।”

धारा 3 के
स्थान पर नयी
धारा का रखा
जाना

4—मूल अधिनियम की धारा 3 के स्थान पर निम्नलिखित धारा रख दी जाय, अर्थात्—

“3—(1) जहां जिला मजिस्ट्रेट की यह राय हो कि किसी ऐसे सार्वजनिक प्रयोजन के लिए, जो भारत संघ के प्रयोजन के लिए न हो, किसी वासस्थान की आवश्यकता है अथवा आवश्यकता होने की सम्भावना है, और वासस्थान का अधिग्रहण किया जाना चाहिए तो जिला मजिस्ट्रेट—

(क) लिखित नोटिस द्वारा (जिसमें अधिग्रहण करने का प्रयोजन उल्लिखित होगा) वासस्थान के स्वामी तथा अध्यासी को भी ऐसी नोटिस उस पर तामील किये जाने के दिनांक से पन्द्रह दिन के भीतर यह कारण बताने को कहेगा कि क्यों न वासस्थान अधिग्रहीत कर लिया जाय, और

(ख) आदेश द्वारा यह निदेश दे सकता है कि न तो वासस्थान का स्वामी और न कोई अन्य व्यक्ति, जिला मजिस्ट्रेट की अनुज्ञा के बिना, दो माह से अनधिक ऐसी अवधि की, जो आदेश में निर्दिष्ट की जाय, समाप्त तक न तो वासस्थान का निस्तारण करेगा, न उसमें संरचनात्मक परिवर्तन करेगा, और न उसे किसी किरायेदार को किराये पर देगा।

(2) यदि वासस्थान के स्वामी या अध्यासी द्वारा बताये गये कारण पर, यदि कोई हो, विचार करने के पश्चात् जिला मजिस्ट्रेट का यह समाधान हो जाय कि ऐसा करना आवश्यक या इष्टकर है तो वह लिखित आदेश द्वारा वासस्थान का अधिग्रहण कर सकता है और ऐसे अग्रतर आदेश दे सकता है जो उसे अधिग्रहण के सम्बन्ध में आवश्यक या इष्टकर प्रतीत हों :

प्रतिबन्ध यह है कि कोई ऐसा वासस्थान या उसका भाग—

(क) जो उसके स्वामी द्वारा अपने अथवा अपने परिवार के निवासस्थान के रूप में वास्तविक रूप से प्रयोग किया जाता हो, या

(ख) जो या तो जनता द्वारा धार्मिक पूजा के लिये अथवा स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक पुस्तकालय या अनाथालय के रूप में अथवा ऐसे पूजा-स्थल या ऐसे स्कूल, अस्पताल, पुस्तकालय अथवा अनाथालय का प्रबन्ध करने से सम्बद्ध व्यक्तियों के वासस्थान के प्रयोजनार्थ एकान्तिक रूप से प्रयोग किया जाता हो,

अधिग्रहीत नहीं किया जायगा :

अग्रतर प्रतिबन्ध यह है कि यदि अधिग्रहीत वासस्थान या उसके भाग का प्रयोग किसी किरायेदार द्वारा उपधारा (1) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के दिनांक से तत्काल पूर्व कम से कम दो महीने पहिले से निवासस्थान के रूप में किया जा रहा हो तो जिला मजिस्ट्रेट ऐसे किरायेदार के हित में वैकल्पिक वासस्थान की, जो उसकी राय में उपयुक्त हो, व्यवस्था करेगा।

(3) उपधारा (1) के खण्ड (क) के अधीन नोटिस तामील किये जाने के संबंध में धारा 4 के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे उक्त उपधारा के खण्ड (ख) के अधीन कोई आदेश तामील किये जाने के सम्बन्ध में लागू होते हैं।”

5—मूल अधिनियम की धारा 15 के पश्चात् निम्नलिखित धारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्—

“15—क(1) यदि इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति कोई कम्पनी हो तो कम्पनी तथा अपराध किये जाने के समय उसके कार्य-कम्पनियों द्वारा अपराध संचालन के लिए कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी प्रत्येक व्यक्ति भी अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार वह अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दण्डित होने का उत्तरदायी होगा :

प्रतिबन्ध यह है कि इस उपधारा में अन्तर्दिष्ट किसी बात से कोई ऐसा व्यक्ति किसी दंड का उत्तरदायी नहीं होगा, यदि वह यह सिद्ध कर दे कि अपराध बिना उसकी जानकारी के किया गया था अथवा उसने ऐसा अपराध किये जाने को रोकने के लिये सभी सम्यक् उपाय किये।

(2) उपधारा (1) में अन्तर्दिष्ट किसी बात के होते हुए भी, यदि इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया जाय और यह सिद्ध हो जाय कि अपराध उस कम्पनी के किसी डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुमति

नयी धारा 15—क
का बढ़ाया जाना

से किया गया है अथवा ऐसे अपराध का किया जाना डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी की उपेक्षा के कारण आरोप्य है तो ऐसा डाइरेक्टर, मैनेजर, सेक्रेटरी या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने तथा दंडित होने का उत्तरदायी होगा।

स्पष्टीकरण—इस धारा के प्रयोजनों के लिये—

(क) “कम्पनी” का तात्पर्य किसी निगमित निकाय से है, तथा इसके अन्तर्गत कोई फर्म या व्यक्तियों का अन्य समुदाय भी है, और

(ख) किसी फर्म के सम्बन्ध में “डाइरेक्टर” का तात्पर्य उस फर्म के भागीदार से है।”

6—मूल अधिनियम की धारा 17 की संख्या बदलकर उसको उपधारा (1) कर दी जाय, और प्रकार पुनः संख्यांकित उपधारा (1) के पश्चात् निम्नलिखित उपधारा बढ़ा दी जाय, अर्थात्:-

धारा 17 का संशोधन

“(2) इस अधिनियम के अधीन बनाये गये सभी नियम बनाये जाने के पश्चात्, यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के प्रत्येक सदन के समक्ष जब वह सत्र में हो, कुल तीस दिन की अवधि पर्यन्त, जो एक सत्र में या एकाधिक आनुक्रमिक सत्रों में हो सकता है, रखे जायेंगे और जब तक कि कोई

विधान मण्डल के समक्ष नियमों आदि का रखा जाना

बाद का दिनांक निश्चित न किया जाय, गजट में प्रकाशित होने के दिनांक से ऐसे परिष्कारों या अभिशून्यनों के अधीन रहते हुए प्रभावी होंगे, जो विधान मण्डल के दोनों सदन उक्त अवधि में करने के लिए सहमत हों, किन्तु इस प्रकार का कोई परिष्कार या अभिशून्यन सम्बद्ध नियमों के अधीन पहले की गयी किसी बात की वैधता पर प्रतिकूल प्रभाव न डालेगा।”